(237)

न्यायालय श्रीमान समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर, म०प्र०

10 Rs. COURT FEE १० रु. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 Rs. COURT FEE १० रु. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

R-1905-I/12

मोहम्मद रसीद वल्द सिद्दीक मोहम्मद साकिन झलरी, तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली, म०प्र० - — पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

म०प्र० शासन - — गैरपुनरीक्षणकर्ता

अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत। दी.ता. दिनांक 21-5-2012

21-5-12

आदेश विरुद्ध कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्र. 262/अ-74/2011-12, आदेश दिनांक 17.4.12 के विरुद्ध निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 (2) म० प्र० भू राजस्व संहिता 1959 ई.।

==================================

22-6-12

मान्यवर,

प्रकरण प्रमुख तथ्य निम्न है:-

1:- यह कि पुनरीक्षणकर्ता ग्राम झलरी, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली का मूल निवासी है, प्रार्थी के पिता पूर्वज बीड़ी बना के अपना जीविका उपार्जन करते थे। प्रार्थी के बाबा भूमिहीन होने के कारण वादग्रस्त भूमियो मे अपने गुजर-बसर के लिये 1-2 कमरा घर बना के उन्ही भूमियो मे खेती कास्त 1948 के पूर्व से करते चले आये ।

2:- यह कि सन 1981-82 के नामांतरण के पूर्व भी पुनरीक्षणकर्ता के बाबा का मकान बना के कब्जा दखल था, उनके मृत्यु के बाद आवेदक के पिता सिद्दीक मोहम्मद का कब्जा दखल था, पिता के द्वारा कब्जेदार के रूप मे राजस्व अभिलेखो मे वादग्रस्त भूमियो मे कब्जेदार के रूप मे नाम

(2)

21-5-12

245

(237)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

जिला सिंगरौली

प्रकरण क्रमांक R–1905-I / 12

मो0 रसीद / म0प्र0 शासन

(1)	(2)
19.12.18 -	1. आवेदक की ओर से श्री वीरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 262 / अ–74 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 17.04.12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य

21-5-12